न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ0 सौम्या झा, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 09 / 2024
प्रविष्टि दिनांक 30.09.2024

जरिये सूरजभान सिंह,प्रर्वतन निरीक्षक देवली

– प्रार्थी

बनाम

मै0 सिद्वी विनायक जयपुर रोड देवली शहर देवली जिला टोंक

– अप्रार्थी

जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

2– अप्रार्थी – स्वंय उपस्थित

निर्णय दिनांक **26.12.2024**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक,प्रवर्तन अधिकारी बहमराह जिला रसद अधिकारी टोंक टोंक के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण/जांच हेतु संयुक्त जाँचदल के रूप में देवली में मै. सिद्वी विनायक जयपुर रोड देवली शहर देवली जिला टोंक पर पहुंचे। मौके पर व्यवसाय स्थल की जाँच तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री महेन्द्र कुमार साहू द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानक भार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से रेस्टोरेन्ट में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर रखे पाये गये। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप में प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर की मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है–

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1.	289252 T	BPCL	14.2	15.6	17.6	2.00

2.	1463672 B	BPCL	14.2	15.4	15.4	00
योग						2.00

इस प्रकार श्री महेन्द्र कुमार साहू द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया। अतः उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 2.00 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए,उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 23.09.2024 को प्रवर्तन निरीक्षक,प्रवर्तन अधिकारी बहमराह जिला रसद अधिकारी टोंक के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग के निरीक्षण/जांच हेतु संयुक्त जाँचदल के रूप में देवली में मै. सिद्धी विनायक जयपुर रोड देवली शहर देवली जिला टोंक पर पहुंचे। मौके पर व्यवसाय स्थल की जाँच तलाशी लेने पर व्यवसायी श्री महेन्द्र कुमार साहू द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानक भार 14.2 KG) को ईधन के रूप में अवैध रूप से रेस्टोरेन्ट में प्रयुक्त किया जा रहा था। मौके पर 2 घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर रखे पाये गये। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व ईधन के रूप में अवैध रूप में प्रयोग करने के कारण उक्त 2 सिलेण्डर की मौके पर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई।इस प्रकार श्री महेन्द्र कुमार साहू द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया जिसके बारे में कोई साक्ष्य उनके द्वारा नहीं दिया गया। अतः 2 गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु मोहन गैस एजेन्सी देवली के प्रतिनिधि श्री पप्पु लाल निवासी राजकोट तहसील देवली जिला टोक की संपुर्दगी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मागें प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नहीं करें। इस प्रकार श्री महेन्द्र कुमार साहू द्वारा एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त जब्तशुदा 2 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 2.00 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है,जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 23.09.2024 के अनुसार मै0 सिद्धी

विनायक जयपुर रोड देवली शहर देवली जिला टोंक कि दुकान/व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 02 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर रेस्टोरेन्ट के कार्य मे प्रयुक्त किया जा रहा था। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1.	289252 T	BPCL	14.2	15.6	17.6	2.00
2.	1463672 B	BPCL	14.2	15.4	15.4	00
योग						2.00

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 02 घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर महेन्द्र,पप्पूलाल तथा शुभभ के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी महेन्द्र,पप्पूलाल तथा शुभभ के हस्ताक्षर है तथा मोहन गैस एजेन्सी देवली के प्रतिनिधि श्री पप्पूलाल के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से रेस्टोरेन्ट का कार्य कर दुरूपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 02 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 2.00 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक